

न्यायालय नायब तहसीलदार जालोर

सरकार बनाम निबाराभ S/O आरनाथ शेररी वि० नरसाणा

मुकदमा नं. 36/2017

धारा 91 LR ACT 1956

निर्णय दिनांक 30.01.2018

पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल निबाराभ S/O आरनाथ उपस्थित, पटवारी हल्का नरसाणा की रिपोर्टनुसार मौजा नरसाणा के खसरा नं. 601 रकबा 0.04 किस्म ग्रीन ग्रीन भूमि पर संवत् 2074 मे कब्जा रूप मे अतिक्रमण करने पर गैर सायल को धारा 91 (3) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, गैर सायल द्वारा अपने कब्जे की वैधता मे कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया। अतः राज० भू०रा० अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर 57 रूपये प्रति हैक्टर के हिसाब से 0.04 हैक्टर की दर 0.20 रूपये का पचास गुणा से 101 रूपये अक्षरे 25 रूपये आरोपित किया जाता है। मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी.आर.ए. मांग कायमी हेतु लिखा जावे पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.01.2018 को सुनाया गया।

नायब तहसीलदार, जालोर
(श्री. पुखाराम भीणा)
नायब तहसीलदार, जालोर